



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-21/2019-893

दिनांक :- 16/9/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/
गुमला वन प्रमंडल, गुमला/लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/सिमडेगा वन
प्रमंडल, सिमडेगा/दुमका वन प्रमंडल, दुमका/साहेबगंज वन प्रमंडल,
साहेबगंज/जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/कोल्हान वन प्रमंडल,
चाईबासा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में
कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना
(जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी
तट वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य के लिए कुल **रु0 640.910 लाख (छः करोड़
चालीस लाख एकानबे हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन
(Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-33/2019-21 व0प0
दिनांक-29.07.2019 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0 बजट-33/
2019-69 व0प0 दिनांक-02.08.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796-जनजातीय क्षेत्र
उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष
2019-20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 640.910 लाख (छः
करोड़ चालीस लाख एकानबे हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में
किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	258.765
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	382.145
कुल :-		640.910

2.

इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन
प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों
के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2** एवं स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3** पर तथा ऑन लाईन उप-आवंटन **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि का स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। यदि नदी तट वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत वनभूमि अथवा गैर-मजरुआ भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में नदी तट वृक्षारोपण की एक इकाई, जिसकी लम्बाई 100 मी० होती है, उसके चयन के क्रम में यदि आंशिक रूप से रैयती भूमि आ रही हो, तो इस प्रकार की रैयती भूमि का हिस्सा (100 मी० लम्बाई की इकाई में) यदि अधिकतम 30 प्रतिशत हो तो इस प्रकार के स्थल को वृक्षारोपण हेतु चयनित किया जा सकता है। इस क्रम में यह आवश्यक होगा कि जमीन के मालिक वन विभाग को योजना अवधि के लिए उक्त रैयती भूमि को वृक्षारोपण के लिए स्वेच्छा से सुपूर्द करने को तैयार हो एवं इसके लिए वन विभाग को इकरारनामा-सह-अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दें। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।



11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जायेगी।
14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।
16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
18. नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-21/2019-893 दिनांक- 16/9/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/दुमका/ जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/गुमला/ दुमका/देवघर/चाईबासा/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-21/2019-893 दिनांक- 16/9/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डारण्डा, राँची/ खूँटी/ गुमला/ लोहरदगा/ सिमडेगा/ दुमका/ साहेबगंज/ जामताड़ा/चाईबासा/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी० में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि०मी० 10 यूनिट)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				404324.90	597105.40	1001430.30
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	10.00	100.00	40.432	59.710	100.142
2	खूँटी वन प्रमण्डल	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
4	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
6	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	14.00	140.00	56.605	83.595	140.200
7	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
8	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
9	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	5.00	50.00	20.216	29.855	50.071
योग :-		64.00	640.00	258.765	382.145	640.910


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300
पौधों की दूरी	2mx3m
1 यूनिट का परिमाण	2000 m ² 100*20
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	249.83 रुपये


क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2019-20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83					
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति इकाई	0.6	149.90		149.90
2	घनी झाड़ी सफाई	प्रति इकाई	2	499.66		499.66
3	घेरान कार्य	प्रति इकाई	-			
3.1	आर०सी०सी० पीलर 82 सं० 823.00 रु० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	29479.94	39475.16	68955.10
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्त्रेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1481.49		1481.49
3.4	आर०सी०सी० पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक ढलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	6872.82	5763.38	12636.20
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 967 पीट प्रति हे० (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	प्रति इकाई	6.60	1648.88	0.00	1648.88
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डैम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	प्रति इकाई	1.20	299.80	0.00	299.80
	कुल:-		161.84	40432.49	59710.54	100143.03
B	वित्तीय वर्ष 2020-21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 287.30 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार मानते हुए					
1	पौधों का क्रय ढलाई सहित 360	10 रु० प्रति	0	0.00	3600.00	3600.00
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	6.6	1896.18	0.00	1896.18
3	दो कोड़नी एवं निकोनी	प्रति इकाई	7.50	2154.75	0.00	2154.75
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	5171.40		5171.40
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	472.13	472.13
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
	कुल:-		32	9222.33	4572.13	13794.46
C	वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 330.40 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए					
1	एक कोड़नी-निकोनी	प्रति इकाई	4.2	1387.68	0.00	1387.68
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	7929.60	0.00	7929.60
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	396.48	275.00	671.48
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	0.62	204.85	100.00	304.85
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	4506.66	0.00	4506.66
	कुल:-		43.66	14425.26	1036.40	15461.66

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
D	वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 379.96 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए					
1	एक कोइनी-निकोनी	प्रति इकाई	4.2	1595.83		1595.83
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	9119.04	0.00	9119.04
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.2	455.95	275.00	730.95
5	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	5182.65		5182.65
	कुल:-		43.04	16353.48	479.90	16833.38
E	वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 436.95 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार मानते हुए					
1	एक कोइनी-निकोनी	प्रति इकाई	4.2	1835.19		1835.19
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	5243.40		5243.40
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	524.34	275.00	799.34
	कुल:-		17.4	7602.93	479.90	8082.83
F	वित्तीय वर्ष 2024-25 में संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 502.49 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023-24 को आधार मानते हुए					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	6029.88		6029.88
	कुल:-		12	6029.88	0.00	6029.88
G	वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 577.86 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2024-25 को आधार मानते हुए					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	6934.32		6934.32
	कुल:-		12	6934.32	0.00	6934.32
	सकल योग:-		322.040	101000.69	66278.87	167279.56

नोट (1) कंटीले तार का क्रय GeM द्वारा अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की समिति की अनुशंसित दर पर किया जाएगा (जो न्यूनतम हो)।

(2) प्रत्येक ब्लॉक के बीच सुगम आवगमन हेतु कुछ अंतर रखा जाए, ताकि आदमी एवं जानवर का आवागमन हो सके।
व्यवहारिक रूप से 10 ब्लॉक को 1 कि० मी० माना जा सकता है।

(3) स्थल पर उपलब्ध भूमि के आकार एवम् लगाए जाने वाले पौधों की संख्या के अनुसार क्रमांक (A) से क्रमांक (E) तक कार्यों की दर को Pro-rata आधार पर स्थल - विशिष्ट प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात व्यय किया जाएगा।


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र०	प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्ताव		
		प्रक्षेत्र का नाम	नदी/स्थल का नाम	रकबा (कि०मी० मे)
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	काँके	जुमार नदी (काँके गेतलसूद डेम)	10
		योग		10
2	खूँटी वन प्रमण्डल	तमाड़ वनरोपण	करकरी नदी तट (बरनिया से डूमरा तक)	2
		बुण्डू	कांची नदी तट पश्चिमी भाग	2
		खूँटी	बनई नदी तट (महिल पुल से गजगाँव-गनालोया)	1
		योग		5
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	गुमला	पारस नदी तट (पिलखी से लकेया बसिया रोड़ तक)	5
		योग		5
4	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	लोहरदगा	कोयल नदी (मेढ़ो से जोगना तक)	3
		कुडू	कोयल नदी (लावागाई से कोलसिमरी-उमरी तक)	2
		योग		5
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	कोलेबिरा	देवनदी	5
		योग		5
6	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका	मयुराक्षी नदी	4
		हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका	ब्राह्मणी नदी	5
		दुमका दामिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड	ब्राह्मणी नदी	5
		योग		14
7	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	बरहड़वा	गुमानी नदी (रोहड़ा से बुधुडीह, कुसमा से राजापानी)	5
		योग		5
8	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	नाला	अजय नदी (डिमजुरी से महेशमुण्डा तक)	5
		योग		5
9	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	संतरा प्रक्षेत्र, सोनुवा	संजय नदी (तैरा से दलकी)	5
		योग		5
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर, जमशेदपुर	सा०वा०प्रक्षेत्र, चांडिल	स्वर्णरेखा नदी (सपारम से तिरुलडीह)	5
		योग		5
	कुल योग-			64

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-21/2019/893

दिनांक - 16-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	58440	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	4,043,200.00 रुपये चालीस लाख तीरयालीस हजार दो सौ
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	58443	RNCFOR001 NIRANJAN PRASAD DEO D.FO KHUNTI	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	58445	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ

योग: 8,086,400.00

क्रमिक योग: रुपये अस्सी लाख छियासी हजार चार सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

CCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	58454	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	58457	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	58462	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	5,660,500.00 रुपये छप्पन लाख साहठ हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग: 9,703,700.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड सित्योत्तर लाख नब्बे हजार एक सौ 17,790,100.00

(SRI VIKRAM SINGH GRUR IPS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेत नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	58467	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	58469	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	58472	SGHFOR002 SRI ABHISHEK BHUSHAN IFS D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग:

6,064,800.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड अडतीस लाख चौपन हजार नौ सौ

23,854,900.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवस्थापन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	58474	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	2,021,600.00 रुपये बीस लाख इक्कीस हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	58480	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO RANCHI FOREST DIVISION RA	5,971,000.00 रुपये उनसठ लाख इकहत्तर हजार
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	58483	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पचयासी हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग:

10,978,100.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड अडतालीस लाख तैतीस हजार

34,833,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययम पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	58485	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पचयासी हजार पंच सौ
14	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	58489	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पचयासी हजार पंच सौ
15	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	58491	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पचयासी हजार पंच सौ

योग: 8,956,500.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड सैतीस लाख नवासी हजार पंच सौ 43,789,500.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IPS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	58493	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	8,359,500.00 रुपये तिरयासी लाख उनसठ हजार पाँच सौ
17	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	58495	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIVEFOR.OFF.SAHIBG NJ	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पाँच सौ
18	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	58497	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पिचयासी हजार पाँच सौ

योग: 14,330,500.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच करोड इक्कयासी लाख बीस हजार 58,120,000.00

(SRI VIKRAM CHINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	58499	SGHFOR002 SRI ABHISHEK BHUSHAN IFS D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पचयासी हजार पैंच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
20	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	58500	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR	2,985,500.00 रुपये उन्तीस लाख पचयासी हजार पैंच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग:

5,971,000.00

क्रमिक योग:

रुपये छः करोड चालीस लाख इनकानवे हजार

64,091,000.00

(SRI VIKRAM SINGH SAUR FS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI